

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021-रतनपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1187 सन 2021

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरदत्त पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. श्योभगवान पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सुखदेव पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. शैलजा पुत्री सार्दुलसिंह जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. सावित्री पुत्री मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. शारदा पुत्री मनरीाम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. मनीराम पुत्र बख्तावर जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 24.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खातासंख्या94/94 की कुल 101200हैक् रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 78/74 की कुल 2.5300हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 8 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बख्तावर पुत्र राजुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बख्तावर पुत्र राजुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बख्तावर पुत्र राजुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 8 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 जो वादी का पिता है काफी वृद्ध हो चुका है भूमि काश्त करने में असमर्थ है ने एवं प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बख्तावर पुत्र राजुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि बख्तावर पुत्र राजुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बख्तावर पुत्र राजुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा बख्तावर पुत्र राजुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्था होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

अमरसिंह के पास रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 78/74 के प0न0 318/386(61) के किला न0 6/1 की 0.0250हैक् , 6/2 की 0.228हैक्, 7 ता 9/0.7590हक् किला न0 12 ,13/0.506हैक् किला न0 14/1 की 0.241हैक् 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला किला न0 15/2 की 0.215हैक् प0न0 319/386(62) के किला न0 21 ,22/0.5060हैक् 17/2 की 0.012हैक् 24/2 की 0.013हैक् भूमि रहेगी।


प्रतिवादी संख्या 1 हरदत्तसिंह के पास रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 78/74 के प0न0 320/398(45) के किला न0 7 ता 9/0.7590हैक् ,12 ता 14/0.7590हैक् 18 ,19/0.5060हैक् किला न0 22 ,23/0.506हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 शिवभगवान के पास रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 94/94 के प0न0 318/386(61) के किला न0 14/2 की 0.12हैक् किला न0 15/3 की 0.013हैक् 16/1 की 0.025हैक् 16/2 की 0.228 ,17/1 की 0.241हक् 18 ,19/0.506हैक् 22 ,23/0.506हैक् 24/1 की 0.240हैक् 25/1 की 0.025हैक् खाता किला न0 25/2 की 0.228 , प0न0 318/387 (68) के किला न0 1/1 की 0.038हैक् रास्ता किला न0 1/2 की 0.215हैक् 2/1 की 0.038हैक् रास्ता किला न0 2/2 की 0.215हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 सुखदेव के पास रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 94/94 के प0न0 319/385(59) के किला न0 21/0.2530हैक् प0न0 319/386(62) किला न0 1/0.253 ,किला न0 9 ता 12/1.0120हैक् 18 ता 20 /0.7590हैक् किला न0 23/0.2530हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 सन्तोष के पास रोही मौजा 13 केएनएन के खाता संख्या 94/94 के प0न0 318/385 (60) के किला न0 18 ता 23/1.5180हैक् प0न0 318/386(61) के किला न0 2 ता 4/0.7590हैक् भूमि 5/1 की 0.0260हैक् गै0मु0 खाला संख्या 5/2 की 0.227हैक् भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट..-रतनपुरा.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरदत्तसिंह पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. श्योभगवान पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सुखदेव पुत्र मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. शैलजा पुत्री सार्दुलसिंह जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. सावित्री पुत्री मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. शारदा पुत्री मनीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. मनीराम पुत्र बख्तावराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1187 सन 2021 निर्णय दिनांक- 24.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि अमरसिंह के पास रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 78/74 के प0न0 318/386(61) के किला न0 6/1 की 0.0250हैक् , 6/2 की 0.228हैक्, 7 ता 9/0.7590हक् किला न0 12 ,13/0.506हैक् किला न0 14/1 की 0.241हैक् 15/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला किला न0 15/2 की 0.215हैक् प0न0 319/386(62) के किला न0 21 ,22/0.5060हैक् 17/2 की 0.012हैक् 24/2 की 0.013हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 हरदत्त सिंह के पास रोही मौजा चक 22 जेएनएन के खाता संख्या 78/74 के प0न0 320/398(45) के किला न0 7 ता 9/0.7590हैक् ,12 ता 14/0.7590हैक् 18 ,19/0.5060हैक् किला न0 22 ,23/0.506हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 श्योभगवान के पास रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 94/94 के प0न0 318/386(61) के किला न0 14/2 की 0.12हैक् किला न0 15/3 की 0.013हैक् 16/1 की 0.025हैक् 16/2 की 0.228 ,17/1 की 0.241हक् 18 ,19/0.506हैक् 22 ,23/0.506हैक् 24/1 की 0.240हैक् 25/1 की 0.025हैक् खाता किला न0 25/2 की 0.228 , प0न0 318/387 (68) के किला न0 1/1 की 0.038हैक् रास्ता किला न0 1/2 की 0.215हैक् 2/1 की 0.038हैक् रास्ता किला न0 2/2 की 0.215हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 सुखदेव के पास रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 94/94 के प0न0 319/385(59) के किला न0 21/0.2530हैक् प0न0 319/386(62) किला न0 1/0.253 ,किला न0 9 ता 12/1.0120हैक् 18 ता 20 /0.7590हैक् किला न0 23/0.2530हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 सन्तोष के पास रोही मौजा 13 केएनएन के खाता संख्या 94/94 के प0न0 318/385 (60) के किला न0 18 ता 23/1.5180हैक् प0न0 318/386(61) के किला न0 2 ता 4/0.7590हैक् भूमि 5/1 की 0.0260हैक् गै0मु0 खाला संख्या 5/2 की 0.227हैक् भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट...रतनपुरा